न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 41/2022

1. छोटूदेवी पत्नी स्व0 श्री भाणू जाति भील निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. मुकेश पुत्र स्व0 श्री भाणू जाति भील निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः—07.02.2025

उपस्थितः—श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना—पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सेदरियां पटवार हल्का सेदरियां, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछुन्दरा तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073—2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 184, खाता संख्या 383 और खाता संख्या 384 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थीगणों की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पति/पिता स्व0 भाणू पुत्र कल्याण की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्किंग जमाबन्दी में में उक्त आराजीयात में प्रार्थीगणों के पति/पिता भाणू पुत्र कल्याण के नाम दर्ज थी। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश से प्रार्थीगणों के पति/पिता का नाम भागू अकिंत हो गया है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों के पति/पिता नाम सही नाम भाणू दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना—पत्र मय रिपोर्ट प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सूना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम पूर्व जमाबन्दी में भाणु दर्ज था, परन्तु राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थीगण के पति/ पिता का नाम भागू दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। वकील प्रार्थीगणों द्वारा अपनी निवेदन के समर्थन में पूर्व में सरपंच ग्राम पंचायत छछुन्दरा का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, राशन—कार्ड आदि पेश किये जा चुके है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित भू—अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत छछुन्दरा का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, राशन—कार्ड, वर्किंग जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल आदि का

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम सेदरियां पटवार हल्का सेदरियां, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछुन्दरा तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 184, खाता संख्या 383 और खाता संख्या 384 में दर्ज खसरा नम्बरान में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **छोटीदेवी पत्नि स्व0 भागू तथा मुकेश पुत्र भागू** के स्थान पर **छोटीदेवी पत्नि स्व. भाणू तथा मुकेश पुत्र भाणू** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)